इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 फरवरी 2018—माघ 12, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2018

क्र. एफ 2-01-2018-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 16.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 18 मई 2015 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सेवा को विलोपित करते हुए उक्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई निश्चित की समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.2	अद्यतन बी.पी.एल.सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराना (ग्रामीण क्षेत्र)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत.	02 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी.
16.3 (अ)	नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों जहां तकनीकी रूप से साध्य हो, वहां नवीन जल कनेक्शन के लिये मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत.	07 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी.
16 (ब)	नल जल योजना के तहत मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदाय.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत.	07 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी.

क्र. एफ 2-03-2018-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 5.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-5, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 में विभाग की सेवा क्रमांक 5.9 में संशोधन करते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई निश्चित की समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.9	ट्रेड लायसेंस	(1) मुख्य नगर पालिका अधिकारी-नगर पालिका/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए.	01 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण.	03 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
		(2) आयुक्त, नगर पालिका निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिये.	01 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिक निगम.	03 कार्य दिवस	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.

क्र. एफ 2-04-2018-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 31.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा अधिसूचित सेवाओं में से सेवा क्रमांक 31.17 (मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008) में संशोधन करते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, तथा अन्य सेवाएं यथावत् रहेंगी :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.17	मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008. (अ) दुर्घटना मृत्यु होने पर 4.00 लाख (रुपये चार लाख मात्र). (ब) दुर्घटना में स्थाई अपंगता 1,00,000/- (रुपये एक लाख रुपये मात्र (स) दुर्घटना में अंग भंग होने से अधिक अपंगता 50,000/- (रुपये पचास हजार रुपये मात्र). (द) अंत्येष्टि अनुदान 4,000/- (रुपये चार हजार मात्र).	संबंधित जिला कलेक्टर.	30 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.